International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD)
Volume 7 Issue 3, May-June 2023 Available Online: www.ijtsrd.com e-ISSN: 2456 – 6470

महिला सशक्तिकरण और घरेलू हिंसा: बूंदी और बारां जिले के विशेष संदर्भ में

Dharm Raj Meena[1], Dr. Banwari Lal Menawat[2]

[1]Govt. Girls College Bundi Vidya Sambhal Yojana, Rajasthan, India
[2]Professor and Supervisor, Political Science, Govt. College Gangapur City, Rajasthan, India

सार

हाल ही में घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनयम, 2005 पर चर्चा करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को एक 'कभी न खत्म होने वाले चक्र' (Never-Ending Cycle) के रूप में परिभाषित किया। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा तथा अपराध की घटनाएँ निरंतर जारी हैं, जो भारत जैसे प्रगतिशील राष्ट्र के समक्ष गंभीर चिंता का कारण बनी हुई है। निर्णय: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनयम, 2005 (Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005) पर विस्तार से चर्चा करने के बाद दिया गया। यह कानून घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को 'साझा घर' (Shared Household) में रहने का अधिकार प्रदान करता है, भले ही पीड़ित महिला के पति के पास घर का कोई कानूनी अधिकार न हो तथा यह घर ससुर या सास के स्वामित्व में हो।अधिनियम को व्यापक बनाना: न्यायालय के अनुसार, यदि आपराधिक न्यायालय (Criminal Court) द्वारा घरेलू हिंसा के कानून के तहत किसी विवाहित महिला को निवास का अधिकार (यहाँ ऐसे निवास स्थल की बात की गई है जहाँ महिला एवं पुरुष दोनों साथ रह रहे हैं) दिया गया है तो इस प्रकार की राहत प्रदान करने का निर्णय लिया जाना प्रासंगिक है, साथ ही ससुराल में हिंसा से पीड़ित महिला को बेदखल करने की स्थिति में नागरिक कार्यवाही (Civil Proceedings): बूंदी और बारां जिले के विशेष संदर्भ में पर भी विचार किया जा सकता है। पत्नी को घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के तहत संयुक्त परिवार में 'साझा घर'(Shared Household) पर दावा करने का अधिकार प्राप्त होगा।घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 2 (s) 'साझा संपत्ति' (Shared Property) को परिभाषित करती है,जो महिला के पति या संयुक्त परिवार के स्वामित्व वाली संपत्ति के रूप में होती है और जिसमे महिला का पति भी शामिल है। पूर्व निर्णय को पलटना: दिसंबर 2006 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गए पूर्व निर्णय, एस. आर. बत्रा बनाम तरुणा बत्रा (SR Batra v Taruna Batra) मामले को न्यायालय द्वारा उलट दिया गया है. अपने पूर्व के निर्णय में न्यायालय द्वारा पत्नी को पति के घर में रहने की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था क्योंकि यह घर पति की माँ के स्वामित्व में था। न्यायालय द्वारा पूर्व निर्णय/आदेश को गलत माना गया है क्योंकि यह निर्णय पूरी तरह वर्ष 2005 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं था।क्रूर/हिंसक व्यवहार की कम-से-कम रिपोर्ट: न्यायालय ने कहा है कि वर्ष 2005 के अधिनियम के अनुपालन के बाद भी भारत में घरेलू हिंसा की घटनाओं में अभी तक कमी नहीं आई है। न्यायालय ने कहा कि भारत में एक महिला को पुत्री, बहन, पत्नी, माँ, साथी या एकल महिला के रूप में घेरलू हिंसा एवं भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जो कि चिंतनीय है।राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण -4 (2015-16) (NFHS-4) के अनुसार, भारत में 15-49 आयु वर्ग की 30% लड़कियाँ एवं महिलाएँ शारीरिक हिंसा की पीड़ित हैं।UN वुमन (United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women-UN Women) के अनुसार, विश्व स्तर पर वर्ष 2019-20 में 243 मिलियन लड़कियाँ और महिलाएंँ (15-49 वर्ष की आयु) अपने साथी द्वारा यौन या शारीरिक हिंसा की शिकार हुई हैं।हिंसा की शिकार महिलाओं में से 40% से कम महिलाएँ किसी भी प्रकार की मदद मांगती हैं या हिंसा/अपराध: बूंदी और बारां जिले के विशेष संदर्भ में की रिपोर्टिंग करती हैं।मदद मांगने वाली इन महिलाओं में से 10% पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराती हैं।कारण: महिलाओं द्वारा अपने साथ होने वाले दुर्व्यवहार का दृढ़ता के साथ विरोध न करने या किसी ठोस कार्यवाही के लिये कदम न उठा पाने के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं:बड़े पैमाने पर महिला अधिकारों को संबोधित करने वाले कानूनों की अनुपस्थिति।मौजूदा कानूनों की अनदेखी।सामाजिक दृष्टिकोण, कलंक एवं परिस्थितियों के चलते भी महिलाओं द्वारा घरेलू हिंसा के प्रति कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है जो महिलाओं के प्रति हिंसक मामलों की शिकायत न करने का मुख्य कारक है।परिस्थितियों के चलते समाज में इस अवधारणा को बल मिला है कि अधिकांश महिलाएँ चुप रहकर परिस्तिथियों के साथ समझौता करना पसंद करती हैं: बूंदी और बारां जिले के विशेष संदर्भ में बजाय अपने खिलाफ हुए हिंसा का विरोध करने के।

घरेलू हिंसा अधिनियम:
- अधिनियम का संक्षिप्त नाम घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनयम, 2005 है।
- शारीरिक हिंसा, जैसे- थप्पड़ मारना, धक्का देना एवं पीटना।

How to cite this paper: Dharm Raj Meena | Dr. Banwari Lal Menawat "Women Empowerment and Domestic Violence: With Special Reference to Bundi and Baran Districts" Published in International Journal of Trend in Scientific Research and Development (ijtsrd), ISSN: 2456-6470, Volume-7 | Issue-3, June 2023, pp.974-983, URL: www.ijtsrd.com/papers/ijtsrd57527.pdf

IJTSRD57527

Copyright © 2023 by author (s) and International Journal of Trend in Scientific Research and Development Journal. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0)

- यौन हिंसा जैसे- जबरन संभोग एवं अन्य रूप। (बलात्कार)
- भावनात्मक (मनोवैज्ञानिक) दुरुपयोग, जैसे- अपमान, विश्वासघात, निरंतर अपमान करना, डराना, नुकसान पहुँचाने की धमकी, बच्चों को दूर करने की धमकी देना इत्यादि।
- किसी व्यक्ति को उसके परिवार एवं दोस्तों से अलग करना, व्यक्ति के कही आने-जाने पर निगरानी रखना उसके वित्तीय संसाधनों, रोज़गार, शिक्षा या चिकित्सा देखभाल तक पहुँच को प्रतिबंधित करना इत्यादि।

महिलाओं के खिलाफ उन हिंसक मामलों को तत्काल प्रभाव से निपटाने की ज़रूरत है जिनका सामना वे आर्थिक सहायता और प्रोत्साहन पैकेज के अभाव में भेदभाव के कई रूपों में करती हैं।ज़मीनी स्तर पर महिलाओं के हितों के लिये कार्य करने वाले संगठनों एवं समुदायों को दृढ़ता से समर्थन करने की आवश्यकता है।सामाजिक सहायता का विस्तार करने के साथ-साथ फोन या इंटरनेट का उपयोग न करने वाली महिलाओं तक इनकी पहुँच सुनिश्चित करने के लिये तकनीक आधारित समाधानों जैसे- एसएमएस, ऑनलाइन टूल एवं नेटवर्क का उपयोग करते हुए हेल्पलाइन, साइकोसोशल सपोर्ट और ऑनलाइन काउंसलिंग को बढ़ावा दिया जाना चाहिये। पुलिस और न्याय सेवाओं को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि किसी भी आपराधिक घटना के साथ-साथ महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हुई हिंसक घटनाओं को भी अन्य हिंसक एवं आपराधिक घटनाओं: बूंदी और बारां जिले के विशेष संदर्भ में साथ उच्च प्राथमिकता दी जाए।

परिचय

बूंदी और बारां जिले के विशेष संदर्भ मेंजब एक महिला पर उसके मायके या ससुराल के लोग किसी प्रकार की हिंसा करते है। तो वह कानून की नज़र में घरेलू हिंसा होती है। भारत में महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए कई कानून बनाये गए। इसके लिए सबसे पहला कानून दहेज निषेध अधिनियम,1961 बनाया गया। जिसके तहत दहेज का लेन-देन अपराध है। साथ ही, घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 भी महिलाओं की रक्षा के उद्देश्य से बनया गया है। घरेलू हिंसा अधिनियम के सेक्शन 3 में घरेलू हिंसा के प्रकार और इससे सम्बंधित लोगों की परिभाषा बताई गयी है। आईये इसे विस्तार में समझते है:-

बूंदी और बारां जिले के विशेष संदर्भ मेंघरेलू हिंसा के तहत यह रिश्ते आते है:-
1. खून के रिश्ते, जैसे माँ, पिता, भाई, बहन आदि।
2. शादी और ससुराल से संबंधित लोग, जैसे हस्बैंड, वाइफ, सास, ससुर, बहू, देवर, भाभी, ननद और उसके ससुराल वाले आदि।
3. बच्चों के सम्बन्ध मतलब जिनकी उम्र अठारह वर्ष से कम है। इसमें खुद के जन्म दिए हुए, अडॉप्ट किये हुए और सौतेले बच्चे शामिल है।
4. शादी जैसे रिश्ते, जैसे लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल और ऐसे कपल जिनकी शादी कानूनी तौर पर अमान्य है।

बूंदी और बारां जिले के विशेष संदर्भ में घरेलू हिंसा के प्रकार:-
1. शारीरिक शोषण जैसे – शारीरिक दर्द, आपराधिक शक्ति दिखाना, मारपीट, या महिला के जीवन के लिए खतरा आदि।
2. यौन शोषण जैसे – महिला की गरिमा को अपमानित करना, नीचे दिखाना आदि।
3. मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग जैसे – भद्दा मज़ाक करना, अपमान करना, धमकी देना, मानसिक शोषण करना आदि।
4. आर्थिक परेशानी जैसे महिला और उसके बच्चों के भरण-पोषण के लिए जरुरी चीज़ें ना देना, फाइनेंसियल रिसोर्सेस से पैसे नहीं आने देना, महिला की हिस्सेदारी वाली प्रॉपर्टी का निपटारा ना करना आदि।

बूंदी और बारां जिले के विशेष संदर्भ में पीड़िताओं के लिए कानूनी सहायता:-

घरेलू हिंसा से परेशान पीड़िताएं इस एक्ट से यह मदद ले सकती है –
1. शेल्टर होम्स:- जरुरत मंद पीड़िताएं सरकार से आश्रय घर/ शेल्टर होम्स ले सकती है।
2. चिकित्सा सुविधाएं:- पीड़िताओं को सरकार द्वारा फ्री मेडिकल सर्विसिस मिलती है।
3. घर में रहने का अधिकार:- अगर महिला को घरेलू हिंसा के चलते उसके पिता के, हस्बैंड के या उसके अपने घर से निकाल दिया गया है। तो सरकार महिला को वहां रहने का अधिकार दिलाती है। घर से निकाल देने से महिला का वहां रहने का अधिकार ख़त्म नहीं होता है। महिला को अपने पिता और पति के घर में रहने का पूरा अधिकार है।
4. सुरक्षा:- घरेलु हिंसा से पीड़िता को सरकार द्वारा सुरक्षा दी जाती है।
5. इन्टरिम मेंटेनेंस:- इन्टरिम मेंटेनेंस का मतलब, वह धनराशि जो केस के दौरान सरकार महिला को उनसे दिलवाती है, जिनके साथ महिला का केस चल रहा है। ताकि, केस के दौरान पीड़िता को आर्थिक परेशानी ना हो।
6. कस्टडी ऑर्डर्स:- इस एक्ट के तहत पीड़िता सरकार द्वारा अपने बच्चों के कस्टडी ऑर्डर्स ले सकती है।
7. कंपेनसेशन या नुकसान भरपाई:- जिसने महिला पर घरेलु हिंसा की है, उसे महिला को कम्पेन्सेट करना होता है। यह कंपेनसेशन धन, प्रॉपर्टी या किसी अन्य रूप में दिया जा सकता है।

विचार-विमर्श

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.—
1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 है।
2. यह जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में फैला हुआ है।

3. यह उस तारीख [1] को लागू होगा , जिसे केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत कर सकती है।

2. परिभाषाएं.—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(ए) "पीड़ित व्यक्ति" का अर्थ किसी भी महिला से है, जो प्रतिवादी के साथ घरेलू संबंध में है, या रही है और जो प्रतिवादी द्वारा घरेलू हिंसा के किसी भी कार्य के अधीन होने का आरोप लगाती है;

(बी) "बच्चा" का अर्थ है अठारह वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति और इसमें कोई गोद लिया हुआ, सौतेला या पालक बच्चा शामिल है;

(सी) "मुआवजा आदेश" का अर्थ धारा 22 के संदर्भ में दिया गया आदेश है;

(डी) "हिरासत आदेश" का अर्थ है धारा 21 के संदर्भ में दिया गया आदेश;

(ङ) "घरेलू घटना की रिपोर्ट" का अर्थ पीड़ित व्यक्ति से घरेलू हिंसा की शिकायत प्राप्त होने पर निर्धारित प्रपत्र में की गई रिपोर्ट है;

(एफ) "घरेलू संबंध" का अर्थ दो व्यक्तियों के बीच संबंध है, जो किसी भी समय एक साझा घर में एक साथ रहते हैं या रह चुके हैं, जब वे रक्त संबंध, विवाह, या विवाह की प्रकृति के संबंध के माध्यम से संबंधित होते हैं, गोद लेने या संयुक्त परिवार के रूप में एक साथ रहने वाले परिवार के सदस्य हैं;

(छ) "घरेलू हिंसा" का वही अर्थ है जो धारा 3 में दिया गया है;

(ज) "दहेज" का वही अर्थ होगा जो दहेज निषेध अधिनियम, 1961 (1961 का 28) की धारा 2 में दिया गया है;

(i) "मजिस्ट्रेट" का अर्थ प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट, या जैसा भी मामला हो, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के तहत उस क्षेत्र में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है जहां पीड़ित व्यक्ति अस्थायी रूप से रहता है। या अन्यथा या प्रतिवादी निवास करता है या कथित तौर पर घरेलू हिंसा हुई है;

(जे) "चिकित्सा सुविधा" का अर्थ है ऐसी सुविधा जो राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए चिकित्सा सुविधा के रूप में अधिसूचित की जा सकती है;

(के) "मौद्रिक राहत" का अर्थ है वह मुआवजा जो मजिस्ट्रेट प्रतिवादी को इस अधिनियम के तहत किसी भी राहत की मांग करने वाले आवेदन की सुनवाई के दौरान किसी भी स्तर पर पीड़ित व्यक्ति को भुगतान करने का आदेश दे सकता है, खर्च किए गए खर्चों और नुकसान को पूरा करने के लिए। घरेलू हिंसा के परिणामस्वरूप पीड़ित व्यक्ति;

(एल) "अधिसूचना" का अर्थ आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित एक अधिसूचना है और अभिव्यक्ति "अधिसूचित" तदनुसार समझा जाएगा;

(एम) "निर्धारित" का अर्थ इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित है;

(एन) "संरक्षण अधिकारी" का अर्थ धारा 8 की उप-धारा (1) के तहत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी है;

(ओ) "संरक्षण आदेश" का अर्थ धारा 18 के संदर्भ में किया गया आदेश है;

(पी) "निवास आदेश" का अर्थ धारा 19 की उप-धारा (1) के संदर्भ में दिया गया आदेश है;

(क्यू) "प्रतिवादी" का मतलब किसी भी वयस्क पुरुष व्यक्ति से है, जो पीड़ित व्यक्ति के साथ घरेलू रिश्ते में है, या रहा है और जिसके खिलाफ पीड़ित व्यक्ति ने इस अधिनियम के तहत कोई राहत मांगी है: बशर्ते कि एक पीड़ित पत्नी या महिला एक में रह रही हो विवाह की प्रकृति का रिश्ता भी पति या पुरुष साथी के किसी रिश्तेदार के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकता है।

(आर) "सेवा प्रदाता" का अर्थ है धारा 10 की उप-धारा (1) के तहत पंजीकृत एक इकाई;

(ध) "साझा गृहस्थी" का अर्थ है एक ऐसा गृहस्थी जहां व्यथित व्यक्ति रहता है या किसी भी स्तर पर या तो अकेले या प्रतिवादी के साथ घरेलू संबंध में रहता है और इसमें ऐसा गृहस्थी शामिल है जो व्यथित व्यक्ति और प्रतिवादी के संयुक्त रूप से स्वामित्व या किराए पर है। , या उनमें से किसी के स्वामित्व या किराए पर लिया गया हो, जिसके संबंध में या तो पीड़ित व्यक्ति या प्रतिवादी या दोनों के पास संयुक्त रूप से या एकल रूप से कोई अधिकार, शीर्षक, हित या इक्विटी है और इसमें ऐसा घर शामिल है जो उस संयुक्त परिवार से संबंधित हो सकता है जिसके प्रतिवादी एक सदस्य है, भले ही प्रतिवादी या पीड़ित व्यक्ति का साझा घर में कोई अधिकार, शीर्षक या हित हो।

(टी) "आश्रय गृह" का अर्थ किसी भी आश्रय गृह से है जिसे राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आश्रय गृह के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है।

3. घरेलू हिंसा की परिभाषा.- इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, प्रतिवादी का कोई कार्य, चूक या आचरण या आचरण घरेलू हिंसा का गठन करेगा यदि वह-

(ए) पीड़ित व्यक्ति के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, अंग या भलाई को, चाहे वह मानसिक या शारीरिक हो, नुकसान पहुंचाता है या चोट पहुंचाता है या खतरे में डालता है या ऐसा करने की प्रवृत्ति रखता है और इसमें शारीरिक शोषण, यौन शोषण, मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार और आर्थिक शामिल है गाली देना; या

(बी) किसी दहेज या अन्य संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा के लिए किसी भी गैरकानूनी मांग को पूरा करने के लिए उसे या उससे संबंधित किसी अन्य व्यक्ति को मजबूर करने की दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को परेशान करता है, नुकसान पहुंचाता है, घायल करता है या खतरे में डालता है; या

(सी) खंड (ए) या खंड (बी) में वर्णित किसी भी आचरण से पीड़ित व्यक्ति या उससे संबंधित किसी भी व्यक्ति को धमकी देने का प्रभाव है; या

(डी) अन्यथा पीड़ित व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक रूप से चोट पहुंचाता है या नुकसान पहुंचाता है। स्पष्टीकरण I.—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "शारीरिक दुर्व्यवहार" का अर्थ किसी भी ऐसे कार्य या आचरण से है जो शारीरिक दर्द, नुकसान या जीवन, अंग या स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करता है या पीड़ित व्यक्ति के स्वास्थ्य या विकास को नुकसान पहुंचाता है और इसमें हमला, आपराधिक शामिल है धमकी और आपराधिक बल;

(ii) "यौन दुर्व्यवहार" में यौन प्रकृति का कोई भी आचरण शामिल है जो महिला की गरिमा को गाली देता है, अपमानित करता है, अपमानित करता है या अन्यथा उल्लंघन करता है;

(iii) "मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार" में शामिल हैं-

(ए) अपमान, उपहास, अपमान, नाम बुलाना और अपमान या उपहास विशेष रूप से एक बच्चा या एक पुरुष बच्चा नहीं होने के संबंध में; और

(बी) किसी भी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा पहुंचाने की बार-बार धमकी देना जिसमें पीड़ित व्यक्ति रुचि रखता है।

(iv) "आर्थिक दुरुपयोग" में शामिल हैं-

(ए) सभी या किसी भी आर्थिक या वित्तीय संसाधनों से वंचित होना, जिसके लिए व्यथित व्यक्ति किसी भी कानून या प्रथा के तहत हकदार है, चाहे अदालत के आदेश के तहत देय हो या अन्यथा या जिसे व्यथित व्यक्ति को आवश्यकता से बाहर की आवश्यकता हो, जिसमें शामिल है, लेकिन इन तक सीमित नहीं है, पीड़ित व्यक्ति और उसके बच्चों के लिए घरेलू आवश्यकताएं, यदि कोई हो, स्त्रीधन, संपत्ति, संयुक्त रूप से या अलग से पीड़ित व्यक्ति के स्वामित्व में, साझा घर से संबंधित किराये का भुगतान और रखरखाव;

(बी) घरेलू सामानों का निपटान, चल या अचल संपत्तियों का कोई अन्य संक्रामण, क़ीमती सामान, शेयर, प्रतिभूतियां, बांड और इसी तरह की या अन्य संपत्ति जिसमें पीड़ित व्यक्ति का हित है या घरेलू संबंध के आधार पर उपयोग करने का हकदार है या जो व्यथित व्यक्ति या उसके बच्चों या उसके स्त्रीधन या व्यथित व्यक्ति द्वारा संयुक्त रूप से या अलग से धारित किसी अन्य संपत्ति के लिए यथोचित रूप से आवश्यक हो सकता है; और

(सी) उन संसाधनों या सुविधाओं तक निरंतर पहुंच पर प्रतिबंध या प्रतिबंध, जिनके लिए पीड़ित व्यक्ति घरेलू संबंधों के आधार पर उपयोग या आनंद लेने का हकदार है, जिसमें साझा घर तक पहुंच भी शामिल है। स्पष्टीकरण II.—यह निर्धारित करने के उद्देश्य से कि क्या प्रतिवादी का कोई कार्य, चूक, कृत्य या आचरण इस धारा के तहत "घरेलू हिंसा" का गठन करता है, मामले के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार किया जाएगा।

4. संरक्षण अधिकारी को सूचना और मुखबिर के दायित्व का बहिष्करण।—

(1) कोई भी व्यक्ति जिसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि घरेलू हिंसा का कार्य किया गया है, या किया जा रहा है, या होने की संभावना है, संबंधित संरक्षण अधिकारी को इसके बारे में जानकारी दे सकता है।

(2) उप-धारा (1) के उद्देश्य के लिए सद्भावपूर्वक जानकारी देने के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई दायित्व, नागरिक या आपराधिक नहीं होगा।

5. पुलिस अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं और मजिस्ट्रेट के कर्तव्य.-एक पुलिस अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता या मजिस्ट्रेट जिसे घरेलू हिंसा की शिकायत प्राप्त हुई है या घरेलू हिंसा की घटना के स्थान पर मौजूद है या जब कोई घरेलू हिंसा की घटना हुई है उसे घरेलू हिंसा की सूचना दी जाती है, पीड़ित व्यक्ति को सूचित करेगा-

(ए) इस अधिनियम के तहत एक सुरक्षा आदेश, मौद्रिक राहत के लिए एक आदेश, एक हिरासत आदेश, एक निवास आदेश, एक मुआवजा आदेश या एक से अधिक ऐसे आदेश के माध्यम से राहत प्राप्त करने के लिए आवेदन करने का उसका अधिकार;

(बी) सेवा प्रदाताओं की सेवाओं की उपलब्धता;

(ग) संरक्षण अधिकारियों की सेवाओं की उपलब्धता;

(डी) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) के तहत मुफ्त कानूनी सेवाओं के उनके अधिकार के बारे में;

(ङ) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 498ए के तहत शिकायत दर्ज करने के उसके अधिकार के बारे में, जहां कहीं भी प्रासंगिक हो: बशर्ते कि इस अधिनियम की किसी भी बात का अर्थ किसी भी तरह से किसी पुलिस अधिकारी को आगे बढ़ने के अपने कर्तव्य से मुक्त करने के लिए नहीं लगाया जाएगा। एक संज्ञेय अपराध के किए जाने की सूचना प्राप्त होने पर कानून के अनुसार।

परिणाम

6. आश्रय गृहों के कर्तव्य.—यदि कोई व्यथित व्यक्ति या उसकी ओर से कोई संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता आश्रय गृह के प्रभारी व्यक्ति से उसे आश्रय प्रदान करने का अनुरोध करता है, तो आश्रय गृह का प्रभारी व्यक्ति उसे आश्रय प्रदान करेगा। आश्रय गृह में पीड़ित व्यक्ति।

7. चिकित्सा सुविधाओं के कर्तव्य.—यदि कोई व्यथित व्यक्ति या उसकी ओर से कोई संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता किसी चिकित्सा सुविधा के प्रभारी व्यक्ति से उसे कोई चिकित्सा सहायता प्रदान करने का अनुरोध करता है, तो चिकित्सा सुविधा का प्रभारी व्यक्ति चिकित्सा सुविधा में पीड़ित व्यक्ति को चिकित्सा सहायता प्रदान करना।

8. संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति।—

(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, प्रत्येक जिले में उतनी संख्या में संरक्षण अधिकारी नियुक्त करेगी, जितनी वह आवश्यक समझे और उस क्षेत्र या क्षेत्रों को भी अधिसूचित करेगी, जिसके भीतर एक संरक्षण अधिकारी उसके द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेगा। या इस अधिनियम के तहत।

(2) संरक्षण अधिकारी जहां तक संभव हो महिलाएं होंगी और उनके पास ऐसी योग्यताएं और अनुभव होंगे जो निर्धारित किए जा सकते हैं।

(3) संरक्षण अधिकारी और उसके अधीनस्थ अन्य अधिकारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जाएं।

9. संरक्षण अधिकारियों के कर्तव्य और कृत्य।—

(1) संरक्षण अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि-

(ए) इस अधिनियम के तहत अपने कार्यों के निर्वहन में मजिस्ट्रेट की सहायता करने के लिए;

(बी) घरेलू हिंसा की शिकायत प्राप्त होने पर मजिस्ट्रेट को एक घरेलू घटना की रिपोर्ट, इस तरह के रूप में और इस तरह से निर्धारित की जा सकती है और स्थानीय पुलिस स्टेशन के प्रभारी पुलिस अधिकारी को उसकी प्रतियां अग्रेषित करने के लिए जिनके क्षेत्राधिकार की सीमाओं में कथित रूप से घरेलू हिंसा की गई है और उस क्षेत्र में सेवा प्रदाताओं के लिए;

(ग) यदि पीड़ित व्यक्ति ऐसा चाहता है, तो मजिस्ट्रेट को निर्धारित रूप में और इस तरह से एक आवेदन करने के लिए, एक सुरक्षा आदेश जारी करने के लिए राहत का दावा करने के लिए;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि व्यथित व्यक्ति को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) के तहत कानूनी सहायता प्रदान की जाती है और निर्धारित प्रपत्र जिसमें शिकायत की जानी है, निःशुल्क उपलब्ध कराना;

(ई) मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र के भीतर एक स्थानीय क्षेत्र में कानूनी सहायता या परामर्श, आश्रय गृह और चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने वाले सभी सेवा प्रदाताओं की एक सूची बनाए रखना;

(च) यदि पीड़ित व्यक्ति को आवश्यकता हो तो एक सुरक्षित आश्रय गृह उपलब्ध कराना और पीड़ित व्यक्ति को आश्रय गृह में रखने की अपनी रिपोर्ट की एक प्रति उस पुलिस स्टेशन और उस क्षेत्र के मजिस्ट्रेट को जहां आश्रय गृह है, को अग्रेषित करना स्थित है;

(छ) व्यथित व्यक्ति का चिकित्सीय परीक्षण कराना, यदि उसे शारीरिक चोटें लगी हैं और चिकित्सीय रिपोर्ट की एक प्रति उस पुलिस थाने और उस क्षेत्र के अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट को जहां कथित रूप से घरेलू हिंसा हुई है, अग्रेषित करना;

(ज) यह सुनिश्चित करने के लिए कि धारा 20 के तहत मौद्रिक राहत के आदेश का पालन किया जाता है और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निष्पादित किया जाता है;

(i) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो निर्धारित किए जा सकते हैं।

(2) संरक्षण अधिकारी मजिस्ट्रेट के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन होगा, और इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन मजिस्ट्रेट और सरकार द्वारा उस पर लगाए गए कर्तव्यों का पालन करेगा।

10. सेवा प्रदाता।—
(1) ऐसे नियमों के अधीन जो इस संबंध में बनाए जा सकते हैं, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के तहत पंजीकृत कोई स्वैच्छिक संघ या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) या किसी अन्य कानून के तहत पंजीकृत कंपनी कानूनी सहायता, चिकित्सा, वित्तीय या अन्य सहायता प्रदान करने सहित किसी भी वैध तरीके से महिलाओं के अधिकारों और हितों की रक्षा के उद्देश्य से इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक सेवा प्रदाता के रूप में राज्य सरकार के साथ खुद को पंजीकृत करेगा।.

(2) उप-धारा (1) के तहत पंजीकृत एक सेवा प्रदाता के पास शक्ति होगी-

(ए) यदि पीड़ित व्यक्ति चाहता है तो घरेलू घटना की रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में रिकॉर्ड करेगा और उसकी एक प्रति मजिस्ट्रेट और उस क्षेत्र में अधिकार क्षेत्र वाले संरक्षण अधिकारी को भेजेगा जहां घरेलू हिंसा हुई थी;

(ख) व्यथित व्यक्ति का चिकित्सीय परीक्षण करवाएगा और चिकित्सीय रिपोर्ट की एक प्रति उस स्थानीय सीमा के भीतर संरक्षण अधिकारी और पुलिस थाने को अग्रेषित करेगा जहां घरेलू हिंसा हुई है;

(सी) सुनिश्चित करें कि पीड़ित व्यक्ति को आश्रय गृह में आश्रय प्रदान किया जाता है, यदि वह ऐसा चाहती है और आश्रय गृह में पीड़ित व्यक्ति के रहने की रिपोर्ट स्थानीय सीमा के भीतर पुलिस स्टेशन को अग्रेषित करेगी जिसमें घरेलू हिंसा हुई थी .

(3) किसी भी सेवा प्रदाता या सेवा प्रदाता के किसी भी सदस्य के खिलाफ कोई मुकदमा, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं होगी, जो इस अधिनियम के तहत कार्य कर रहा है या कार्य करने के लिए माना जाता है, जो सद्भाव में है। घरेलू हिंसा के आयोग की रोकथाम के लिए इस अधिनियम के तहत शक्तियों के प्रयोग या कार्यों के निर्वहन में किया गया या किया जाने का इरादा है।

11. बूंदी और बारां जिले के विशेष संदर्भ में सरकार के कर्तव्य.- केंद्र सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय करेगी कि-
(ए) इस अधिनियम के प्रावधानों को नियमित अंतराल पर टेलीविजन, रेडियो और प्रिंट मीडिया सहित सार्वजनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार दिया जाता है;

(बी) पुलिस अधिकारियों और न्यायिक सेवाओं के सदस्यों सहित केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधिकारियों को इस अधिनियम द्वारा संबोधित मुद्दों पर समय-समय पर संवेदीकरण और जागरूकता प्रशिक्षण दिया जाता है;

(सी) घरेलू हिंसा के मुद्दों को संबोधित करने के लिए कानून और व्यवस्था, स्वास्थ्य और मानव संसाधन सहित कानून, गृह मामलों से निपटने वाले संबंधित मंत्रालयों और विभागों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित किया जाता है और उसकी समय-समय पर समीक्षा की जाती है;

(डी) अदालतों सहित इस अधिनियम के तहत महिलाओं को सेवाएं प्रदान करने से संबंधित विभिन्न मंत्रालयों के लिए प्रोटोकॉल तैयार किए जाते हैं और लागू किए जाते हैं।

12. मजिस्ट्रेट को आवेदन-
(1) एक पीड़ित व्यक्ति या एक संरक्षण अधिकारी या पीड़ित व्यक्ति की ओर से कोई अन्य व्यक्ति इस अधिनियम के तहत एक या एक से अधिक राहत मांगने के लिए मजिस्ट्रेट को एक आवेदन प्रस्तुत कर सकता है: बशर्ते कि इस तरह के आवेदन पर कोई आदेश पारित करने से पहले, मजिस्ट्रेट संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता से उसके द्वारा प्राप्त किसी भी घरेलू घटना की रिपोर्ट पर विचार करना।

(2) उप-धारा (1) के तहत मांगी गई राहत में मुआवजे या नुकसान के भुगतान के लिए आदेश जारी करने के लिए राहत शामिल हो सकती है, ऐसे व्यक्ति के अधिकार के बिना मुआवजे के लिए मुकदमा दायर करने या क्षति के लिए क्षतिपूर्ति के लिए मुकदमा दायर करना। प्रतिवादी द्वारा की गई घरेलू हिंसा: बशर्ते कि जहां पीड़ित व्यक्ति के पक्ष में किसी भी अदालत द्वारा मुआवजे या नुकसान के रूप में किसी भी राशि का आदेश पारित किया गया हो, राशि, यदि कोई हो, भुगतान की गई या मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए आदेश के अनुसरण में देय इस अधिनियम के तहत इस तरह के डिक्री के तहत देय राशि के खिलाफ सेट ऑफ किया जाएगा और डिक्री, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5), या किसी अन्य कानून के समय में निहित होने के बावजूद, के लिए निष्पादन योग्य होगी शेष राशि, यदि कोई हो, ऐसे सेट ऑफ के बाद बची हो।

(3) उप-धारा (1) के तहत प्रत्येक आवेदन ऐसे रूप में होगा और इसमें ऐसे विवरण शामिल होंगे जो निर्धारित किए जा सकते हैं या जितना संभव हो सके।

(4) मजिस्ट्रेट सुनवाई की पहली तारीख तय करेगा, जो आमतौर पर अदालत द्वारा आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीन दिन से अधिक नहीं होगी।

(5) मजिस्ट्रेट अपनी पहली सुनवाई की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर उप-धारा (1) के तहत किए गए प्रत्येक आवेदन का निपटान करने का प्रयास करेगा।

13. बूंदी और बारां जिले के विशेष संदर्भ में नोटिस की तामील
(1) धारा 12 के अधीन नियत सुनवाई की तारीख की सूचना मजिस्ट्रेट द्वारा संरक्षण अधिकारी को दी जाएगी, जो इसे ऐसे माध्यमों से तामील करवाएगा जो प्रतिवादी पर, और किसी अन्य व्यक्ति पर, जैसा कि निर्देशित हो, तामील करवाएगा। मजिस्ट्रेट दो दिनों की अधिकतम अवधि के भीतर या ऐसा और उचित समय जो मजिस्ट्रेट द्वारा इसकी प्राप्ति की तारीख से अनुमति दी जा सकती है।

(2) संरक्षण अधिकारी द्वारा निर्धारित रूप में नोटिस की तामील की घोषणा इस बात का प्रमाण होगा कि जब तक विपरीत साबित नहीं हो जाता, तब तक इस तरह के नोटिस की तामील प्रतिवादी और किसी अन्य व्यक्ति पर मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देशित की गई थी।

14. परामर्श।—
(1) मजिस्ट्रेट, इस अधिनियम के तहत कार्यवाही के किसी भी स्तर पर, प्रतिवादी या पीड़ित व्यक्ति को, अकेले या संयुक्त रूप से, सेवा प्रदाता के किसी भी सदस्य के साथ परामर्श करने के लिए निर्देशित कर सकता है, जिसके पास परामर्श में ऐसी योग्यता और अनुभव हो सकता है। निर्धारित किया जाए।

(2) जहां मजिस्ट्रेट ने उप-धारा (1) के तहत कोई निर्देश जारी किया है, वह मामले की सुनवाई की अगली तारीख दो महीने से अधिक की अवधि के भीतर तय करेगा।

15. कल्याण विशेषज्ञ की सहायता.-इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही में, मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति की सेवाओं को सुरक्षित कर सकता है, अधिमानतः एक महिला, चाहे वह पीड़ित व्यक्ति से संबंधित हो या नहीं, परिवार कल्याण को बढ़ावा देने में लगे व्यक्ति सहित, जिसे वह उचित समझे, उसके कार्यों के निर्वहन में उसकी सहायता करने के उद्देश्य से।

16. कार्यवाही बंद कमरे में होना.—यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि मामले की परिस्थितियाँ ऐसी हैं, और यदि कार्यवाही का कोई भी पक्ष ऐसा चाहता है, तो वह इस अधिनियम के तहत कार्यवाही बंद कमरे में संचालित कर सकता है।

17. साझा घर में रहने का अधिकार।—
(1) फ़िलहाल लागू किसी भी अन्य कानून में निहित किसी भी बात के बावजूद, घरेलू रिश्ते में प्रत्येक महिला को साझा घर में रहने का अधिकार होगा, चाहे उसके पास कोई अधिकार, शीर्षक या लाभकारी हित हो या नहीं।

(2) पीड़ित व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा प्रतिवादी द्वारा साझा घर या उसके किसी हिस्से से बेदखल या बहिष्कृत नहीं किया जाएगा।

18. बूंदी और बारां जिले के विशेष संदर्भ में संरक्षण आदेश.— मजिस्ट्रेट, पीड़ित व्यक्ति और प्रतिवादी को सुनवाई का अवसर देने के बाद और प्रथम दृष्टया संतुष्ट होने पर कि घरेलू हिंसा हुई है या होने की संभावना है, के पक्ष में एक संरक्षण आदेश पारित कर सकता है। पीड़ित व्यक्ति और प्रतिवादी को इससे प्रतिबंधित करें-
(ए) घरेलू हिंसा का कोई भी कार्य करना;

(बी) घरेलू हिंसा के कृत्यों के कमीशन में सहायता या बढ़ावा देना;

(ग) व्यथित व्यक्ति के रोजगार के स्थान में प्रवेश करना या, यदि व्यथित व्यक्ति एक बच्चा है, उसके स्कूल या व्यथित व्यक्ति द्वारा अक्सर आने-जाने वाले किसी अन्य स्थान पर प्रवेश करना;

(डी) व्यक्तिगत, मौखिक या लिखित या इलेक्ट्रॉनिक या टेलीफोनिक संपर्क सहित पीड़ित व्यक्ति के साथ किसी भी रूप में संवाद करने का प्रयास करना;

(ई) पीड़ित व्यक्ति और प्रतिवादी द्वारा संयुक्त रूप से या व्यक्तिगत रूप से दोनों पक्षों द्वारा उपयोग किए गए या उपयोग किए गए बैंक लॉकर्स या बैंक खातों का संचालन करने वाली किसी भी संपत्ति को अलग करना, उसके स्त्रीधन या पार्टियों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किसी भी अन्य संपत्ति सहित या मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना उनके द्वारा अलग से;

(च) आश्रितों, अन्य रिश्तेदारों या पीड़ित व्यक्ति को घरेलू हिंसा से सहायता देने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ हिंसा करना;

(छ) सुरक्षा आदेश में निर्दिष्ट कोई अन्य कार्य करना।

19. बूंदी और बारां जिले के विशेष संदर्भ में निवास आदेश.—
(1) धारा 12 की उप-धारा (1) के तहत एक आवेदन का निपटान करते समय, मजिस्ट्रेट इस बात से संतुष्ट होने पर कि घरेलू हिंसा हुई है, एक निवास आदेश पारित कर सकता है-

(ए) प्रतिवादी को साझा घर से पीड़ित व्यक्ति के कब्जे को बेदखल करने या किसी अन्य तरीके से परेशान करने से रोकना, चाहे प्रतिवादी का साझा घर में कानूनी या समान हित हो या नहीं;

(बी) प्रतिवादी को साझा घर से खुद को हटाने का निर्देश देना;

(सी) प्रतिवादी या उसके किसी भी रिश्तेदार को साझा घर के किसी भी हिस्से में प्रवेश करने से रोकना जिसमें पीड़ित व्यक्ति रहता है;

(डी) प्रतिवादी को साझा गृहस्थी को अलग करने या निपटाने या उसे भारग्रस्त करने से रोकना;

(ङ) प्रतिवादी को मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना साझा गृहस्थी में अपने अधिकारों का परित्याग करने से रोकना; या

(च) प्रतिवादी को पीड़ित व्यक्ति के लिए उसी स्तर के वैकल्पिक आवास को सुरक्षित करने के लिए निर्देशित करना, जैसा कि साझा घर में उसके द्वारा आनंद लिया गया था या उसके लिए किराए का भुगतान करने के लिए, यदि परिस्थितियों की आवश्यकता हो: बशर्ते कि खंड (बी) के तहत कोई आदेश नहीं होगा किसी भी व्यक्ति के खिलाफ पारित किया गया है जो एक महिला है।

(2) मजिस्ट्रेट कोई भी अतिरिक्त शर्तें लगा सकता है या कोई अन्य निर्देश पारित कर सकता है जिसे वह पीड़ित व्यक्ति या ऐसे पीड़ित व्यक्ति के किसी बच्चे की सुरक्षा या सुरक्षा प्रदान करने के लिए उचित रूप से आवश्यक समझे।

(3) घरेलू हिंसा के आयोग को रोकने के लिए, मजिस्ट्रेट प्रतिवादी से जमानत के साथ या उसके बिना एक बांड निष्पादित करने की आवश्यकता कर सकता है।

(4) उप-धारा (3) के तहत एक आदेश को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय VIII के तहत एक आदेश माना जाएगा और तदनुसार कार्रवाई की जाएगी।

(5) उप-धारा (1), उप-धारा (2) या उप-धारा (3) के तहत एक आदेश पारित करते समय, अदालत निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को निर्देश देने के लिए एक आदेश भी पारित कर सकती है पीड़ित व्यक्ति को सुरक्षा या आदेश के कार्यान्वयन में उसकी या उसकी ओर से आवेदन करने वाले व्यक्ति की सहायता करने के लिए।

(6) उप-धारा (1) के तहत एक आदेश देते समय, मजिस्ट्रेट पार्टियों की वित्तीय जरूरतों और संसाधनों के संबंध में किराए और अन्य भुगतानों के निर्वहन से संबंधित प्रतिवादी दायित्वों पर लगा सकता है।

(7) मजिस्ट्रेट उस पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को निर्देश दे सकता है जिसके अधिकार क्षेत्र में मजिस्ट्रेट से सुरक्षा आदेश के कार्यान्वयन में सहायता करने के लिए संपर्क किया गया हो।

(8) मजिस्ट्रेट प्रत्यर्थी को निर्देश दे सकता है कि वह व्यथित व्यक्ति के कब्जे में उसका स्त्रीधन या कोई अन्य संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति वापस कर दे, जिसकी वह हकदार है।

20. मौद्रिक राहतें।—
(1) धारा 12 की उप-धारा (1) के तहत एक आवेदन का निपटान करते समय, मजिस्ट्रेट प्रतिवादी को निर्देश दे सकता है कि वह पीड़ित व्यक्ति और पीड़ित व्यक्ति के किसी भी बच्चे द्वारा किए गए खर्चों और नुकसान को पूरा करने के लिए मौद्रिक राहत का भुगतान करे। घरेलू हिंसा के परिणाम और इस तरह की राहत में शामिल हो सकते हैं लेकिन यह इन तक सीमित नहीं है-

(ए) कमाई का नुकसान;

(बी) चिकित्सा व्यय;

(ग) व्यथित व्यक्ति के नियंत्रण से किसी संपत्ति के नष्ट होने, क्षतिग्रस्त होने या हटाए जाने के कारण हुई हानि; और

(डी) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) या किसी अन्य कानून की धारा 125 के तहत या इसके अतिरिक्त रखरखाव के आदेश सहित पीड़ित व्यक्ति के साथ-साथ उसके बच्चों के लिए रखरखाव, यदि कोई हो फिलहाल लागू है।

(2) इस धारा के तहत दी गई मौद्रिक राहत पर्याप्त, उचित और उचित होगी और पीड़ित व्यक्ति के जीवन स्तर के अनुरूप होगी।

(3) मजिस्ट्रेट के पास उचित एकमुश्त भुगतान या रखरखाव के मासिक भुगतान का आदेश देने की शक्ति होगी, जैसा कि मामले की प्रकृति और परिस्थितियों की आवश्यकता हो सकती है।

(4) मजिस्ट्रेट उप-धारा (1) के तहत किए गए आर्थिक राहत के आदेश की एक प्रति आवेदन के पक्षकारों को और स्थानीय सीमा के भीतर पुलिस स्टेशन के प्रभारी को भेजेगा, जिसके अधिकार क्षेत्र में प्रतिवादी निवास करता है।

(5) प्रतिवादी उप-धारा (1) के तहत आदेश में निर्दिष्ट अवधि के भीतर पीड़ित व्यक्ति को दी गई आर्थिक राहत का भुगतान करेगा।

(6) उप-धारा (1) के तहत आदेश के अनुसार भुगतान करने में प्रतिवादी की ओर से विफलता पर, मजिस्ट्रेट नियोक्ता या प्रतिवादी के ऋणी को पीड़ित व्यक्ति को सीधे भुगतान करने या सीधे भुगतान करने का निर्देश दे सकता है। अदालत के पास प्रतिवादी के क्रेडिट के कारण या अर्जित मजदूरी या वेतन या ऋण का एक हिस्सा जमा करें, जो राशि प्रतिवादी द्वारा देय मौद्रिक राहत के लिए समायोजित की जा सकती है।

21. बूंदी और बारां जिले के विशेष संदर्भ में हिरासत आदेश.— तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून में निहित किसी बात के होते हुए भी, मजिस्ट्रेट संरक्षण आदेश के लिए आवेदन की सुनवाई के किसी भी स्तर पर या इस अधिनियम के तहत किसी अन्य राहत के लिए किसी भी बच्चे की अस्थायी हिरासत प्रदान कर सकता है या व्यथित व्यक्ति या उसकी ओर से आवेदन करने वाले व्यक्ति को बच्चे और यदि आवश्यक हो, तो प्रतिवादी द्वारा ऐसे बच्चे या बच्चों की यात्रा की व्यवस्था निर्दिष्ट करें: बशर्ते कि यदि मजिस्ट्रेट की राय है कि प्रतिवादी की कोई यात्रा हो सकती है बच्चे या बच्चों के हितों के लिए हानिकारक, मजिस्ट्रेट ऐसी यात्रा की अनुमति देने से इंकार कर देगा।

22. मुआवजा आदेश.-इस अधिनियम के तहत दी जाने वाली अन्य राहतों के अलावा, मजिस्ट्रेट पीड़ित व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर, प्रतिवादी को मुआवजे का भुगतान करने और मानसिक यातना सहित चोटों के लिए नुकसान का भुगतान करने का आदेश पारित कर सकता है। और भावनात्मक संकट, उस प्रतिवादी द्वारा की गई घरेलू हिंसा के कृत्यों के कारण।

23. अंतरिम और एकपक्षीय आदेश देने की शक्ति.—

(1) इस अधिनियम के तहत उसके समक्ष किसी भी कार्यवाही में, मजिस्ट्रेट ऐसा अंतरिम आदेश पारित कर सकता है जैसा वह उचित और उचित समझे।

(2) यदि मजिस्ट्रेट संतुष्ट है कि एक आवेदन प्रथम दृष्टया खुलासा करता है कि प्रतिवादी घरेलू हिंसा का कार्य कर रहा है, या किया है या यह संभावना है कि प्रतिवादी घरेलू हिंसा का कार्य कर सकता है, तो वह एक पूर्व अनुदान दे सकता है प्रतिवादी के खिलाफ धारा 18, धारा 19, धारा 20, धारा 21 या, जैसा भी मामला हो, धारा 22 के तहत पीड़ित व्यक्ति के हलफनामे के आधार पर एकतरफा आदेश, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

24. न्यायालय द्वारा आदेश की प्रतियां नि:शुल्क देना.—मजिस्ट्रेट उन सभी मामलों में, जहां उसने इस अधिनियम के अधीन कोई आदेश पारित किया है, यह आदेश देगा कि ऐसे आदेश की एक प्रति पक्षकारों को नि:शुल्क दी जाएगी. आवेदन, पुलिस स्टेशन के प्रभारी पुलिस अधिकारी जिसके अधिकार क्षेत्र में मजिस्ट्रेट से संपर्क किया गया है, और अदालत के अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा के भीतर स्थित कोई भी सेवा प्रदाता और यदि किसी सेवा प्रदाता ने घरेलू घटना की रिपोर्ट दर्ज की है , उस सेवा प्रदाता को।

25. आदेशों की अवधि और परिवर्तन-
(1) धारा 18 के तहत दिया गया सुरक्षा आदेश तब तक लागू रहेगा जब तक पीड़ित व्यक्ति डिस्चार्ज के लिए आवेदन नहीं करता।

(2) यदि मजिस्ट्रेट, व्यथित व्यक्ति या प्रतिवादी से एक आवेदन प्राप्त होने पर संतुष्ट है कि इस अधिनियम के तहत किए गए किसी भी आदेश में परिवर्तन, संशोधन या निरस्तीकरण की आवश्यकता वाली परिस्थितियों में बदलाव है, तो वह कारणों से लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा, ऐसा आदेश पारित करें, जैसा वह उचित समझे।

निष्कर्ष

26. अन्य मुकदमों और कानूनी कार्यवाहियों में राहत-
(1) धारा 18, 19, 20, 21 और 22 के तहत उपलब्ध किसी भी राहत को किसी भी कानूनी कार्यवाही में सिविल कोर्ट, फैमिली कोर्ट या क्रिमिनल कोर्ट के समक्ष मांगा जा सकता है, जो पीड़ित व्यक्ति और प्रतिवादी को प्रभावित करता है, चाहे ऐसी कार्यवाही शुरू की गई हो इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले या बाद में।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी भी राहत को किसी भी अन्य राहत के अलावा और साथ में मांगा जा सकता है, जिसे व्यथित व्यक्ति किसी सिविल या आपराधिक न्यायालय के समक्ष इस तरह के मुकदमे या कानूनी कार्यवाही में मांग सकता है।

(3) यदि इस अधिनियम के तहत कार्यवाही के अलावा किसी अन्य कार्यवाही में पीड़ित व्यक्ति द्वारा कोई राहत प्राप्त की गई है, तो वह इस तरह की राहत के अनुदान के बारे में मजिस्ट्रेट को सूचित करने के लिए बाध्य होगी।

27. बूंदी और बारां जिले के विशेष संदर्भ में अधिकारिता।—
(1) प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत, जैसा भी मामला हो, स्थानीय सीमाओं के भीतर-

(ए) पीड़ित व्यक्ति स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से निवास करता है या व्यवसाय करता है या नियोजित है; या

(बी) प्रतिवादी निवास करता है या व्यवसाय करता है या नियोजित है; या

(सी) कार्रवाई का कारण उत्पन्न हो गया है, इस अधिनियम के तहत सुरक्षा आदेश और अन्य आदेश देने और इस अधिनियम के तहत अपराधों का प्रयास करने के लिए सक्षम न्यायालय होगा।

(2) इस अधिनियम द्वारा किया गया कोई भी आदेश पूरे भारत में लागू होगा।

28. प्रक्रिया.—
(1) इस अधिनियम में अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर, धारा 12, 18, 19, 20, 21, 22 और 23 के तहत सभी कार्यवाही और धारा 31 के तहत अपराध दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (2 का 2) के प्रावधानों द्वारा शासित होंगे। 1974)।

(2) उप-धारा (1) में कुछ भी अदालत को धारा 12 के तहत या धारा 23 की उप-धारा (2) के तहत एक आवेदन के निपटान के लिए अपनी प्रक्रिया निर्धारित करने से नहीं रोकेगा।

29. 29. अपील.—यथास्थिति, जिस तारीख को मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए आदेश की तामील व्यथित व्यक्ति या प्रतिवादी पर की जाती है, जो भी बाद में हो, से तीस दिन के भीतर सत्र न्यायालय में अपील की जाएगी।

30. संरक्षण अधिकारियों और सेवा प्रदाताओं के सदस्यों का लोक सेवक होना.- संरक्षण अधिकारियों और सेवा प्रदाताओं के सदस्यों को इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम या आदेश के अनुसार कार्य करने या कार्य करने के लिए माना जाएगा भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक होना।

31. प्रतिवादी द्वारा सुरक्षा आदेश के उल्लंघन के लिए जुर्माना।—
(1) प्रतिवादी द्वारा संरक्षण आदेश, या एक अंतरिम संरक्षण आदेश का उल्लंघन, इस अधिनियम के तहत एक अपराध होगा और एक अवधि के लिए कारावास के साथ दंडनीय होगा जो एक वर्ष तक बढ़ सकता है, या जुर्माने के साथ हो सकता है। बीस हजार रुपये तक बढ़ा सकते हैं, या दोनों के साथ।

(2) उप-धारा (1) के तहत अपराध जहां तक व्यावहारिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किया गया था, जिसने आदेश पारित किया था, जिसका उल्लंघन अभियुक्त द्वारा कथित रूप से किया गया है।

(3) उप-धारा (1) के तहत आरोप तय करते समय, मजिस्ट्रेट भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 498ए या उस संहिता के किसी अन्य प्रावधान या दहेज निषेध अधिनियम, 1961 (28 का 28) के तहत भी आरोप तय कर सकते हैं। 1961), जैसा भी मामला हो, अगर तथ्य उन प्रावधानों के तहत अपराध के आयोग का खुलासा करते हैं।

32. बूंदी और बारां जिले के विशेष संदर्भ में संज्ञान और सबूत.—

(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, धारा 31 की उप-धारा (1) के तहत अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होगा।

(2) पीड़ित व्यक्ति की एकमात्र गवाही पर, अदालत यह निष्कर्ष निकाल सकती है कि धारा 31 की उप-धारा (1) के तहत अभियुक्त द्वारा अपराध किया गया है।

बूंदी और बारां जिले के विशेष संदर्भ में संरक्षण अधिकारी द्वारा कर्तव्य का निर्वहन न करने के लिए दंड.- यदि कोई संरक्षण अधिकारी बिना किसी पर्याप्त कारण के संरक्षण आदेश में मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देशित अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहता है या इनकार करता है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जो एक साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना जो बीस हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों के साथ।

बूंदी और बारां जिले के विशेष संदर्भ में संरक्षण अधिकारी द्वारा किए गए अपराध का संज्ञान.- संरक्षण अधिकारी के विरुद्ध कोई अभियोजन या अन्य कानूनी कार्यवाही तब तक नहीं होगी जब तक कि राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व मंजूरी से कोई शिकायत दर्ज नहीं की जाती है।

बूंदी और बारां जिले के विशेष संदर्भ में सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण.- इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी भी चीज से हुई या होने वाली संभावित क्षति के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्यवाही संरक्षण अधिकारी के विरुद्ध नहीं होगी। या उसके अधीन बनाया गया कोई नियम या आदेश।

बूंदी और बारां जिले के विशेष संदर्भ में अधिनियम किसी अन्य कानून के अल्पीकरण में नहीं है।—इस अधिनियम के प्रावधान तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में।

बूंदी और बारां जिले के विशेष संदर्भ में केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति

(1) केंद्र सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) विशेष रूप से, और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रदान कर सकते हैं, अर्थात्: -

(ए) धारा 8 की उप-धारा (2) के तहत एक सुरक्षा अधिकारी के पास जो योग्यता और अनुभव होगा;

(बी) धारा 8 की उप-धारा (3) के तहत संरक्षण अधिकारियों और उनके अधीनस्थ अन्य अधिकारियों की सेवा के नियम और शर्तें;

(सी) धारा 9 की उप-धारा (1) के खंड (बी) के तहत एक घरेलू घटना की रिपोर्ट जिस रूप और तरीके से की जा सकती है;

(डी) धारा 9 की उप-धारा (1) के खंड (सी) के तहत मजिस्ट्रेट को संरक्षण आदेश के लिए आवेदन करने का प्रारूप और तरीका;

(ङ) वह प्रपत्र जिसमें धारा 9 की उप-धारा (1) के खंड (डी) के तहत शिकायत दर्ज की जानी है;

(च) धारा 9 की उप-धारा (1) के खंड के तहत संरक्षण अधिकारी द्वारा किए जाने वाले अन्य कर्तव्य;

(छ) धारा 10 की उप-धारा (1) के तहत सेवा प्रदाताओं के पंजीकरण को विनियमित करने वाले नियम;

(ज) वह प्रपत्र जिसमें धारा 12 की उप-धारा (1) के तहत इस अधिनियम के तहत राहत की मांग की जा सकती है और वे विवरण जो उस धारा के उप-धारा (3) के तहत इस तरह के आवेदन में शामिल होंगे;

(i) धारा 13 की उप-धारा (1) के तहत नोटिस देने के साधन;

(जे) धारा 13 की उप-धारा (2) के तहत संरक्षण अधिकारी द्वारा की जाने वाली नोटिस की सेवा की घोषणा का रूप;

(के) धारा 14 की उप-धारा (1) के तहत सेवा प्रदाता के एक सदस्य के पास परामर्श में योग्यता और अनुभव;

(ठ) वह प्रपत्र जिसमें व्यथित व्यक्ति द्वारा धारा 23 की उप-धारा (2) के अंतर्गत शपथ-पत्र दाखिल किया जा सकता है;

(एम) कोई अन्य मामला जो निर्धारित होना चाहिए, या हो सकता है।

(3) इस अधिनियम के तहत बनाए गए प्रत्येक नियम को बनाए जाने के बाद, जितनी जल्दी हो सके, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा, जबकि यह सत्र में कुल तीस दिनों की अवधि के लिए हो सकता है जो एक सत्र में या एक सत्र में शामिल हो सकता है। दो या दो से अधिक आनुक्रमिक सत्र, और यदि, सत्र के तुरंत बाद के सत्र की समाप्ति से पहले या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्र, दोनों सदन नियम में कोई संशोधन करने पर सहमत होते हैं या दोनों सदन इस बात पर सहमत होते हैं कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो नियम उसके बाद केवल ऐसे संशोधित रूप में प्रभावी होगा या कोई प्रभाव नहीं होगा, जैसा भी मामला हो; इसलिए, हालांकि, ऐसा कोई भी संशोधन या विलोपन उस नियम के तहत पहले की गई किसी भी चीज की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

संदर्भ

[1] वुडलॉक, डेलानी (2017)। "घरेलू हिंसा और पीछा करने में प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग"। महिलाओं के खिलाफ हिंसा। 23 (5): 584–602। डीओआई: 10.1177/1077801216646277 . आईएसएसएन 1077-8012। पीएमआईडी 27178564। एस2सीआईडी 26463963 .

[2] "ऑस्ट्रेलिया में प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग और घरेलू हिंसा पर WESNET दूसरा राष्ट्रीय सर्वेक्षण" (पीडीएफ)। 26 फरवरी, 2021 को मूल से संग्रहीत (पीडीएफ)। 4 मार्च, 2022 को पुनःप्राप्त।

[3] "एक अंतरंग या पारिवारिक संबंध वैधानिक मार्गदर्शन ढांचे में नियंत्रण या जबरदस्ती व्यवहार" (पीडीएफ)। 24 जुलाई, 2018 को मूल से संग्रहीत (पीडीएफ)। 17 जून, 2022 को पुनःप्राप्त।

[4] मैकक्विग, रोनाघ जेए (जनवरी 2013), "घरेलू हिंसा के संबंध में अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून की प्रभावशीलता के लिए संभावित समस्याएं", मैकक्विग, रोनाघ जेए (संस्करण), अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून और घरेलू हिंसा में: अंतरराष्ट्रीय की प्रभावशीलता मानवाधिकार कानून (पीडीएफ), ऑक्सफोर्ड न्यूयॉर्क:टेलर एंड फ्रांसिस, पी। xiii,डीओआई:10.1891/1946-6560.4.1.6,आईएसबीएन 9781136742088, S2CID 143682579 , 5 फरवरी, 2016 को मूल से संग्रहीत (पीडीएफ) , यह एक ऐसा मुद्दा है जो दुनिया के सभी देशों में बड़ी संख्या में महिलाओं को प्रभावित करता है। ... हालांकि ऐसे मामले हैं जिनमें पुरुष घरेलू हिंसा के शिकार हैं, फिर भी 'उपलब्ध शोध से पता चलता है कि घरेलू हिंसा पुरुषों द्वारा महिलाओं के खिलाफ अत्यधिक निर्देशित है ... इसके अलावा, vio560.4.1.6

[5] मजबूत, ब्रायन; डेवॉल्ट, क्रिस्टीन; कोहेन, थियोडोर (16 फरवरी, 2010)। द मैरिज एंड फैमिली एक्सपीरियंस: इंटिमेट रिलेशनशिप्स इन ए चेंजिंग सोसाइटी। सेनगेज लर्निंग। पी। 447.आईएसबीएन 978-1133597469. 10 जनवरी, 2017 को मूल से संग्रहीत।

[6] कॉनकैनन, डायना (11 जुलाई, 2013)। किडनैपिंग: एन इन्वेस्टिगेटर गाइड। न्यूनेस। पी। 30.आईएसबीएन 978-0123740311. 10 जनवरी, 2017 को मूल से संग्रहीत।

[7] रिविएलो, राल्फ (1 जुलाई, 2009)। फोरेंसिक आपातकालीन चिकित्सा का मैनुअल। जोन्स एंड बार्टलेट लर्निंग। पी। 129.आईएसबीएन 978-0763744625. 10 जनवरी, 2017 को मूल से संग्रहीत।

[8] फिनले, लौरा (16 जुलाई, 2013)। घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार का विश्वकोश। एबीसी-सीएलआईओ। पी। 163.आईएसबीएन 978-1610690010. 10 जनवरी, 2017 को मूल से संग्रहीत।

[9] हेस, करेन; ऑर्थमैन, क्रिस्टीन; चो, हेनरी (1 जनवरी, 2016)। आपराधिक जांच। सेनगेज लर्निंग। पी। 323.आईएसबीएन 978-1435469938. 10 जनवरी, 2017 को मूल से संग्रहीत।

[10] लुपरी, यूजीन; ग्रैंडिन, ऐलेन (2004), "पुरुष दुर्व्यवहार के परिणाम - प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष", लुपरी, यूजीन में; ग्रैंडिन, ऐलेन (संपा.), पुरुषों के खिलाफ अंतरंग साथी का दुरुपयोग (पीडीएफ), ओटावा: पारिवारिक हिंसा पर राष्ट्रीय समाशोधन गृह, पी। 6,आईएसबीएन 9780662379751, मूल (पीडीएफ) से 4 जनवरी, 2009 को पुरालेखित , 21 जून, 2014 को पुनःप्राप्त

[11] हलकेट, मेगन मैकफर्सन; गोर्मली, केटलिन; मेलो, निकोल; रोसेन्थल, लोरी; मिरकिन, मार्शा प्रावदर (2013)। "दुर्व्यवहार करने वाले के साथ रहें या छोड़ दें? युवा वयस्कों द्वारा किए गए आरोपों पर घरेलू हिंसा पीड़ित के निर्णय का प्रभाव"। पारिवारिक हिंसा का जर्नल। 29: 35–49. डीओआई: 10.1007/एस10896-013-9555-4। एस2सीआईडी 8299696 .

[12] डब्ल्यूएचओ(7 मार्च, 2013)। "बाल विवाह: हर दिन 39,000"। who.int. विश्व स्वास्थ्य संगठन। 14 अप्रैल 2014 कोमूलसे संग्रहीत। 11 अप्रैल 2014को पुनःप्राप्त।संयुक्त समाचार रिलीज हर महिला हर बच्चा/लड़कियां दुल्हन नहीं/पीएमएनसीएच/संयुक्त राष्ट्र फाउंडेशन/यूएनएफपीए/यूनिसेफ/संयुक्त राष्ट्र महिला/डब्ल्यूएचओ/वर्ल्ड विजन/वर्ल्ड वाईडब्ल्यूसीए/

[13] डटन, डोनाल्ड; पेंटर, एसएल (1 जनवरी, 1981)। "ट्रॉमैटिक बॉन्डिंग: पस्त महिलाओं में भावनात्मक जुड़ाव का विकास और आंतरायिक दुर्व्यवहार के अन्य रिश्ते"। विक्टिमोलॉजी। 6: 139–155.

[14] शेख्टर, डेनियल एस.; ज़िग्मंट, एनेट; कोट्स, सुसान डब्ल्यू.; डेविस, मार्क; ट्राबका, किम्बर्ली ए.; मैकको, जेमी; कोलोडजी, ऐन; रॉबिन्सन, जोआन एल (2007)। "देखभालकर्ता आघात मैकआर्थर स्टोरी स्टेम बैटरी पर छोटे बच्चों के मानसिक अभ्यावेदन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है"। अनुलग्नक और मानव विकास। 9(3): 187–205। डीओई:10.1080/14616730701453762. पीएमसी 2078523। पीएमआईडी18007959.

[15] वेबैक मशीन पर राष्ट्रीय महिला सहायता महासंघ ने 2012-01-13 को संग्रहीत किया।

[16] हाउस ऑफ कॉमन्स सिटिंग (1973) आर्काइव्ड 2012-10-24 एट द वेबैक मशीन बैटर्ड वीमेन।

[17] "टाइम्स में घरेलू हिंसा: नागरिक अशांति से पति या पत्नी के दुरुपयोग तक"। द न्यूयॉर्क टाइम्स। 10 सितंबर, 2014. मूल से 22 जुलाई, 2016 को पुरालेखित । 26 मार्च, 2016 को पुनःप्राप्त।

[18] "संघीय कागजात: संख्या 43 वही विषय जारी रहा (संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों पर आगे विचार किया गया)"। येल लॉ स्कूल, एवलॉन प्रोजेक्ट, इतिहास में दस्तावेज़, कानून और कूटनीति। 26 मार्च, 2016 को मूल से संग्रहीत । 26 मार्च, 2016 को पुनःप्राप्त।

[19] मैककेबे, जेम्स डाबनी; एडवर्ड विंसलो मार्टिन (1877)। महान दंगों का इतिहास: संयुक्त राज्य अमेरिका के विभिन्न रेलमार्गों और खनन क्षेत्रों में हड़तालें और दंगे मौली मैगुइरे के पूर्ण इतिहास के साथ। राष्ट्रीय प्रकाशन कंपनी। पी। 15। महान दंगों का इतिहास और मौली मैगुइरे का पूरा इतिहास।

[20] वेट्स, कैथलीन (अप्रैल 1985)। "पीड़ित करने के लिए आपराधिक न्याय प्रणाली की प्रतिक्रिया: समस्या को समझना, समाधान बनाना"। वाशिंगटन लॉ रिव्यू। 60(2): 267–329। 5 फरवरी, 2016 को मूल सेसंग्रहीत लेक्सिस नेक्सिस। वेबैक मशीन एनसीजे 108130 पर संग्रहीत 2015-11-23